

**दिनांक-09.06.2026 को माननीय मंत्री महोदय द्वारा संचिका में दिये
गये दंड/अनुमोदित आरोप पत्र की विवरणी**

म सं०	नाम/पदनाम	आरोप की विवरणी	अधिरोपित दंड	अभ्युक्ति
1	श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, सम्प्रति निलंबित	दिनांक-27.07.2021 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने/कर्तव्य के प्रति लापरवाही/अनुशासनहीनता/स्वेच्छाचारिता तथा दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने के बावजूद भी संचालित विभागीय कार्यवाही में अनुपस्थित रहने।	-	सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई।
2	श्रीमती कुमारी अंचल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चंडी, नालंदा सम्प्रति अंचल अधिकारी, छपरा सदर	राज्य सूचना आयोग, बिहार द्वारा पारित आदेश में अर्थ दंड की राशि 25 हजार रुपये जमा नहीं करने।	निन्दन	-
3	श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया, गयाजी	भू-हदबंदी के तहत अधिशेष अधिग्रहित भूमि दाखिल-खारिज स्वीकृत करने/जमाबंदी कायम करने तथा अनाधिकृत रूप सेवानिवृत्त कर्मों से कार्य लिये जाने।	असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।	-
4	श्री रविन्द्र कुमार चौपाल, अंचल अधिकारी, अस्थांवा, नालन्दा	एक ही जमीन की दोहरी जमाबंदी क विलोपन की कार्रवाई काफी विलम्ब से करने।	निन्दन	-
5	श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोपालगंज सदर, सम्प्रति अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	दाखिल-खारिज वाद को गलत ढंग से अस्वीकृत करने।	निन्दन	-
6	श्री ज्ञानानन्द, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोकामा, सम्प्रति सेवानिवृत्त	दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए वाद स्वीकृत करने/दाखिल-खारिज वाद के निष्पादन में लापरवाही बरतने एवं कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता	-	आरोप पत्र गठित
7	श्रीमती केशिका कुमारी, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, श्रीनगर, पूर्णियां, सम्प्रति अंचल अधिकारी, मधेपुरा	ऑन-लाईन दाखिल खारिज वाद को एक बार में अस्वीकृत कर पुनः स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना।	चेतावनी	-
8	श्री राज नारायण राजा, अंचल अधिकारी, हथुआ, गोपालगंज	विभागीय निदेश के विपरीत कार्य करन/दाखिल-खारिज वादों अधिक अवधि तक लंबित रखने/लापरवाही बरतने एवं कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता	-	आरोप पत्र गठित

9	श्री राम कुमार रमण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आमस, गयाजी, सम्प्रति राजस्व अधिकारी, गया सदर	एक ही भूमि का अलग-अलग दाखिल-खारिज वाद अभिलेख खोलकर दो भिन्न व्यक्तियों के नाम दाखिल-खारिज की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने एवं विधि व्यवस्था पर कतिपय प्रभाव पड़ने की संभावना होने।	—	विभागीय कार्यवाही संचालित
10	श्री संजीव कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, अररिया, सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गयाजी	सरकारी भूमि के बंदोबस्ती रद्दीकरण को प्रक्रिया में लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप	—	आरोप पत्र गठित